पढियार प्रह्लादजी चेनाजी

(मृतक) एलआर के माध्यम

से.....अपीलकर्ता

बनाम

मणिबेन जगमालभाई (मृतक)

एलआर और अन्य के माध्यम से।

.....प्रतिवादी

निर्णय

श्री ,म0 आर0 शाह, जे.

1. 2016 की दूसरी अपील संख्या 8 में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.10.2018 के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है और पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की है। ट्रायल कोर्ट ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मूल वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा देने की पुष्टि करते हुए प्रतिवादी को वादी के कब्जे हस्तछेप करने से रोक दिया, मूल प्रतिवादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. यह विवाद राजस्व हस्ताक्षर सत्यापित नहीं नटराजन सर्वेक्षण संख्या 49 विज्ञापन-माप 6 एकड़ और 15 गुंठा भूमि के संबंध में ग्राम महादेविया, जिला दीसा में है। मूल वादी के पति ने अपीलकर्ता - मूल प्रतिवादी (इसके बाद "मूल प्रतिवादी" के रूप में संदर्भित) के पक्ष में दिनांक 17.06.1975 को एक विक्रय विलेख निष्पादित किया था, जिसके द्वारा उसने अपनी कृषि भूमि बेच दी थी।

2.1 यह कि विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में वर्ष 1976 में ही परिवर्तित कर दिया गया था। वर्ष 1976 के बाद से मूल प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मालिक के रूप में बदल दिया गया था।

प्रतिवादियों की ओर से यह मामला है कि उसके बाद 1975 से 1997 के बीच, उन्होंने भूमि पर निर्माण परियोजनाओं को अधिकृत किया और पूरा किया। उन्होंने एक बैंक ऋण भी लिया जहां वाद की संपत्ति संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में दी गई थी।

2.2 यह कि वर्ष 1999 में मूल वादी के पति जिसने पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया था, के पति की मृत्यु हो गयी। लगभग 22 वर्षों की अवधि के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 - मूल वादी (इसके बाद "मूल वादी" के रूप में संदर्भित) ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), दीसा की अदालत में 1997 का नियमित सिविल वाद संख्या 123 दायर किया। पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1975 को रद्द करने की घोषणा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा से राहत।

2.3 यह कि मूल वादी की ओर से मामला यह था कि उसका पति शराब का आदी था और चूंकि परिवार को वित्त की आवश्यकता थी, उसके पति ने कुल 6 एकड़ 15 गुंठा में से 1 एकड़ जमीन प्रतिवादी संख्या- 1को बेचने का फैसला कियाA 1. वादी के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 ने फायदा उठाते हुए धोखे से संपूर्ण वाद संपत्ति यानी 6 एकड़ 15 गुंठा का विक्रय पत्र पंजीकृत करा लिया। इसलिए, वादी की ओर से यह मामला था कि प्रतिवादी संख्या 1 ने उसके परिवार के साथ धोखाधड़ी की। वादी के अनुसार, केवल 1 एकड़ का कब्ज़ा प्रतिवादी संख्या 1 को सौंपा गया था और वादी का शेष 5 एकड़ और 15 गुंठा भूमि पर कब्ज़ा बना रहा। यह वादी का मामला है, जैसे ही उसे कथित धोखाधड़ी के बारे में पता चला और प्रतिवादी संख्या 1 ने मुकदमे की जमीन पर उसके बसे हुए कब्जे को परेशान करने की कोशिश की, उसने उपरोक्त राहत के लिए नियमित सिविल मुकदमा दायर किया।

2.4 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मुकदमे का विरोध किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि उसने वादी के पति द्वारा विधिवत निष्पादित पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत पूरी जमीन, यानी 6 एकड़ और 15 गुंठा खरीदी है।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह भी मामला था कि पूरे मुकदमे की जमीन पर उसका कब्जा है और वह कई वर्षों से उस पर खेती कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार, वादी का वाद संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वादी अपने पति के भाइयों को प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के रूप में शामिल कर रही है, जिनके खिलाफ किसी राहत का दावा नहीं किया गया था।

2.5 ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए: -

"1. क्या वादनी यह साबित करती है कि उसके पति ने सर्वे नं. 494 से उत्तर दिशा में स्थित 1 एकड़ जमीन लिखित में दी थी कूप के निर्माण हेतु?

2. क्या वादिनीं साबितकरतीहै कि प्रतिवादी संख्या 1 के साथ प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने मिलकर भी है। सर्वे संख्या 49 एकड़-15 गुंठा भूमि का निष्पादन किया गया। 17/6/75 को रु. 4000 उसके पति से 4000/- झूठ बोलकर?

3. क्या प्रतिवादी साबित करता है कि वादी के पति ने उसे सर्वे संख्या 49 की 6 एकड़ 15 गुंठा जमीन बेची थी। पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17/6/75 द्वारा एवं तब से भूमि पर उनका कब्ज़ा है ?

4. क्या वादी प्रार्थना के अनुसार घोषणा प्राप्त करने का हकदार है?

5. क्या वादी मांगी गई राहत पाने का हकदार है?

6. कौन सा आदेश और फरमान?"

2.6 मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों की सराहना करने पर, ट्रायल कोर्ट ने आंशिक रूप से मुकदमे की अनुमति दे दी। ट्रायल कोर्ट ने बिक्री विलेख और घोषणा को रद्द करने की राहत देने से इनकार कर दिया और माना कि प्रतिवादी नंबर 1 ने पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 17.06.1975 के तहत पूरी 6 एकड़ और 15 गुंठा भूमि खरीदी। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने माना कि वादी को 5 एकड़ और 15 गुंठा भूमि की सीमा तक मुकदमे की भूमि पर कब्जा है और तदनुसार स्थायी निषेधाज्ञा

की राहत दी गई।

2.7 प्रतिवादी नंबर 1, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित स्थायी निषेधाज्ञा के निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रथम अपीलीय न्यायालय - डीसा में बनासकांठा के जिला न्यायालय के समक्ष की नियमित सिविल अपील संख्या 15/2000 को प्राथमिकता दी गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित स्थायी निषेधाज्ञा के फैसले और डिक्री की पुष्टि की।

2.8 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जहां तक ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री ने पंजीकृत बिक्री विलेख को रद्द करने की डिक्री देने से इंकार कर दिया है और उसके पक्ष में संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा देने से इंकार कर दिया है। अंतिमता और यह प्रतिवादी संख्या 1 था जिसने मूल वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा के फैसले को चुनौती देते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील को असफल रूप से प्राथमिकता दी।

2.9 प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रतिवादी नंबर 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किये:-

“(1) चाहे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में] निचली अदालतों, विशेष अपीलीय न्यायालय ने यह मानकर कानून की गंभीर गलती की है कि जहां तक बिक्री विलेख को रद्द करने की राहत का सवाल है, यह सीमा से वर्जित है और जहां तक निषेधाज्ञा की राहत का सवाल है, यह सीमा से वर्जित नहीं है क्योंकि वादी के पास उस राहत के लिए कार्रवाई का निरंतर कारण है?

(2) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किसी भी पक्ष के कब्जे के बारे में निष्कर्ष निकालना संभव है? क्या कब्जे के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने में

नीचे की अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का सही मूल्यांकन किया है या कानून की गंभीर त्रुटि की है?

2.10 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि मूल वादी द्वारा मांगी गई स्थायी निषेधाज्ञा की राहत को वास्तविक राहत कहा जा सकता है, न कि परिणामी राहत और इसलिए, ट्रायल कोर्ट वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा देना उचित है क्योंकि वादी के पास 6 एकड़ और 15 गुंठा के कुल क्षेत्रफल में से 5 एकड़ और 15 गुंठा भूमि का कब्ज़ा पाया गया/है।

2.11 उच्च न्यायालय द्वारा उसकी दूसरी अपील को खारिज करने और मूल वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा देने के ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि करने वाले आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल प्रतिवादी नंबर 1 ने प्राथमिकता दी है वर्तमान अपील.

3. मूल प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पल्लव शिशोदिया ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया है कि एक बार भूमि पर मुकदमा करने के लिए वादी के स्वामित्व की घोषणा से संबंधित राहत को अस्वीकार कर दिया गया है, ट्रायल कोर्ट ने राहत देने में गलती की है वादी के कथित "कब्जे" की रक्षा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा।

3.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी के पक्ष में मांगी गई और दी गई स्थायी निषेधाज्ञा अन्यायपूर्ण है और विशिष्ट अनतोष अधिनियम की धारा 41 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 38 के विपरीत है।

3.2 आगे यह भी तर्क दिया गया है कि स्थायी निषेधाज्ञा की राहत भी रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के विपरीत थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह, पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 17.06.1975 के निष्पादन से ही, प्रतिवादी संख्या 1 का संपूर्ण वाद भूमि पर कब्जा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि 1975 से राजस्व रिकॉर्ड में,

प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कृषक और कब्जे में दिखाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने भी एक बैंक ऋण लिया था जहां सूट की संपत्ति संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में दी गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि पंजीकृत विक्रय विलेख में भी, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि पूर्ण बिक्री प्रतिफल का भुगतान किया गया है और प्रतिवादी संख्या 1 - क्रेता को पूरी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। यह आग्रह किया जाता है कि एक बार जब ट्रायल कोर्ट ने माना कि संपूर्ण भूमि के संबंध में पंजीकृत बिक्री विलेख का निष्पादन हो गया है और यह भी माना है कि संपूर्ण भूमि के संबंध में पूर्ण बिक्री विचार का भुगतान किया जा चुका है, तो ट्रायल कोर्ट को यह करना चाहिए था माना जाता है कि बिक्री विलेख का वह हिस्सा जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि प्रश्न में पूरी भूमि का कब्ज़ा प्रतिवादी संख्या 1 को सौंप दिया गया था। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी न्यायालयों ने 5 एकड़ और 15 गुंठा भूमि के संबंध में वादी के कब्जे पर विश्वास करने में भौतिक रूप से गलती की है।

3.3 मूल प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिशोदिया द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि अन्यथा भी, नीचे के सभी न्यायालयों ने वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की राहत देने में भौतिक रूप से गलती की है। यह तर्क दिया गया है कि एक बार वादी स्वामित्व की घोषणा के संबंध में कोई राहत पाने में विफल रहा और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख पर विश्वास किया गया, उस मामले में, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए राहत एक परिणामी राहत थी जो मांगी गई थी मुकदमे में, वादी अपने कथित कब्जे की रक्षा के लिए किसी भी सुरक्षा और/या किसी निषेधाज्ञा की हकदार नहीं होगी।

3.4 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि नीचे के न्यायालयों ने इस तथ्य की ठीक से सराहना नहीं की है कि एक बार जब वादी स्वामित्व के संबंध में घोषणा के संबंध में कोई राहत पाने में विफल रहा और प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में पंजीकृत

बिक्री विलेख पर विश्वास किया गया, तो तथाकथित वादी के कब्जे को गैरकानूनी और/या अवैध कब्जा कहा जा सकता है और किसी भी मामले में वैध कब्जा नहीं कहा जा सकता है और इसलिए वह स्थायी निषेधाज्ञा का हकदार नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रार्थना की गई है।

3.5 यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि घोषणा के लिए मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित था, तो स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाली राहत भी परिसीमा द्वारा वर्जित थी, क्योंकि वादी ने 22 वर्षों की अवधि के बाद दिनांक 17.06.1975 के विक्रय विलेख को चुनौती दी थी।

3.6 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि 1975 के विक्रय विलेख को चुनौती देते हुए वर्ष 1997 में मुकदमा दायर किए जाने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 12.12.1997 के आदेश के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पहली अपील के लंबित रहने के दौरान यथास्थिति का आदेश देकर अपीलकर्ता - प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे की रक्षा की, जिसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.03.2016 के आदेश के तहत आगे भी जारी रखा। यह प्रस्तुत किया गया है कि यथास्थिति के आदेश को भी उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले के बाद बढ़ा दिया था और इस न्यायालय ने दिनांक 11.01.2019 के आदेश के माध्यम से इसे जारी रखा था। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 हमेशा से मुकदमे की भूमि पर और विशेष रूप से कब्जे में रहा है, जो उक्त तथ्य की मान्यता में न्यायिक आदेशों द्वारा संरक्षित है।

3.7 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई स्थायी निषेधाज्ञा देने के ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया जाए।

4. वर्तमान अपील का मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रऊफ रहीम ने पुरजोर विरोध किया है।

4.1 मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रहीम द्वारा जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार नीचे के सभी न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं कि वादी के पास संपूर्ण वाद भूमि, यानी 5 एकड़, का कब्जा है। और 15 गुंठा ज़मीन। यह प्रस्तुत किया गया है कि तथ्यों के इन निष्कर्षों को नीचे के सभी न्यायालयों द्वारा मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह से रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना के आधार पर दर्ज किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि वादी को तयशुदा कब्जे में पाया गया है, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय कब्जे से राहत पाने के लिए एक ठोस मुकदमा दायर करना होगा। अनाथुला सुधाकर बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया है। पी. बुची रेड्डी, (2008) 4 एससीसी 594।

4.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी द्वारा अपने कब्जे की रक्षा के लिए दायर मुकदमे में, प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पक्ष में कब्जे की राहत नहीं मिल सकती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपने कब्जे, रक्षा के लिए कोई प्रतिदावा भी दायर नहीं किया गया था।

4.3 मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने मौखिक और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर दिया है कि वह विचाराधीन भूमि पर खेती कर रही है और उक्त भूमि पर उसका कब्जा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने कब्जे को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने कब्जे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था। यह आग्रह किया जाता है कि, एक बार जब वादी को मुकदमे की भूमि पर कब्ज़ा पाया गया, तो ट्रायल कोर्ट द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा की राहत देने में कोई त्रुटि नहीं हुई और प्रथम अपीलीय न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी इसकी सही पुष्टि की गई है।

4.4 मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि वादी द्वारा मांगी गई स्थायी निषेधाज्ञा की राहत एक पर्याप्त राहत थी न कि परिणामी राहत।

4.5 उपरोक्त दलीलें देते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

5. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना।

6. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मूल वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 17.06.1975 को रद्द करने और यह घोषणा करने के लिए था कि पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 17.06.1975 फर्जी है और बाध्यकारी नहीं है। वादी को. यह घोषणा करते हुए कि उपरोक्त विक्रय विलेख उस पर बाध्यकारी नहीं है, वादी ने 1-0 गुंठा माप वाली भूमि की वापसी के लिए भी प्रार्थना की, जो वादी के अनुसार प्रतिवादी संख्या के कब्जे में थी । वादी ने 6 एकड़ 15 गुंठा की संपूर्ण कृषि भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी प्रार्थना की, हालांकि वादी के अनुसार भी प्रतिवादी संख्या 1 को में से 1-0 गुंठा भूमि का कब्जा सौंप दिया गया था। 6 एकड़ और 15 गुंठा ज़मीन।

6.1 रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की सराहना करने पर, ट्रायल कोर्ट ने पंजीकृत बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए डिक्री पारित करने से इनकार कर दिया और प्रार्थना के अनुसार घोषणा देने से इनकार कर दिया। इसलिए, जहां तक प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व के पहलू का सवाल है, वादी हार गया। सबूतों की सराहना करने पर, ट्रायल कोर्ट ने माना कि वादी के पति ने मूल्य प्रतिफल के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया। ट्रायल कोर्ट द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख और घोषणा को रद्द करने की डिक्री देने से इनकार करने का निर्णय और आदेश अंतिम रूप ले चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वादी द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

6.2 हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 को 5 एकड़ और 15 गुंठा भूमि के संबंध में वादी के कब्जे में गड़बड़ी करने से रोकते हुए स्थायी निषेधाज्ञा दे दी। यह प्रतिवादी संख्या 1 था, जिसने पहले अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और उसके बाद स्थायी निषेधाज्ञा के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा यह देखा है कि वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए राहत को एक वास्तविक राहत कहा जा सकता है, इसलिए, जब वादी के पास 5 एकड़ और 15 गुंठा भूमि का कब्जा पाया जाता है, वादी अपने कब्जे की सुरक्षा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से राहत पाने की हकदार है।

7. इसलिए, संक्षिप्त प्रश्न, जो इस न्यायालय के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि क्या ऐसे मामले में, जहां तक शीर्षक का संबंध है, वादी हार गया है और प्रतिवादी जिसके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा मांगी गई है, वह असली मालिक है भूमि का, क्या वादी वास्तविक मालिक के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा से राहत पाने का हकदार है, विशेष रूप से, जब वादी ने स्वामित्व खो दिया है और उसके बाद वादी को इस तथ्य के बावजूद कि यह दावा करने की अनुमति दी जा सकती है कि जहां तक स्वामित्व का सवाल है, वादी ने खो दिया है, उसके कब्जे को निषेधाज्ञा के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए और असली मालिक को कब्जे का दावा करते हुए एक ठोस मुकदमा दायर करना होगा।

8. जहां तक प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुतीकरण है कि स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा भी परिसीमा कानून द्वारा वर्जित है और प्रतिवादी नंबर 1 का आगे प्रस्तुतीकरण है कि पंजीकृत विक्रय विलेख 17.06.1975 को निष्पादित किया गया था और तुरंत उसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बदल दिया गया और उसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में एक कृषक के रूप में जारी रहा और मुकदमा 22 साल की अवधि के बाद दायर किया गया था, इसका

संबंध है , यह सच है कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष हैं कि वादी के पास विवादित भूमि का कब्जा है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि राजस्व रिकॉर्ड में, 1976 के बाद से और प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में और में बदल दिया गया था। किसान और खेतिहर के कॉलम में प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम अंकित है। यहां तक कि कृषक द्वारा खेती की जाने वाली फसलों का उल्लेख भी राजस्व रिकॉर्ड में किया जाता है। इस प्रकार, 1976 से लेकर 1997 तक राजस्व रिकॉर्ड में, प्रतिवादी संख्या 1 का नाम मालिक और कृषक के रूप में परिवर्तित होता रहा है। इस आशय का कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं है कि किसी भी समय और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित होने के बाद, वादी ने प्रश्न में भूमि के संबंध में कोई राजस्व का भुगतान किया। प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख के निष्पादन के बाद, जिस पर नीचे की सभी अदालतों ने विश्वास किया है, प्रतिवादी नंबर 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मालिक और कृषक और वादी के रूप में बदल दिया गया था, जो दावा करता है भूमि पर कब्ज़ा होना और उस पर खेती करना, उक्त प्रविष्टि का ज्ञान होना माना जाएगा।

8.1 दिल्बू बनाम धनराजी के मामले में। धनराजी, (2000) 7 एससीसी 702, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और माना गया है कि जहां कोई विवाद है कि मुकदमा सीमा अवधि से परे दायर किया गया है, वादी को यह दावा करना होगा और साबित करना होगा कि मुकदमा अवधि के भीतर है जैसा कि निर्धारित किया गया है और किसी भी दावे या सबूत के अभाव में यह दिखाने के लिए कि मुकदमा समय के भीतर है, वादी ही असफल होगा। आगे यह देखा गया है कि जब भी कोई दस्तावेज़ पंजीकृत किया जाता है तो पंजीकरण की तारीख समझे गए ज्ञान की तारीख बन जाती है। आगे यह देखा गया है कि अन्य मामलों में जहां किसी तथ्य को उचित

परिश्रम से खोजा जा सकता है, तो माना गया ज्ञान वादी को दिया जाएगा क्योंकि किसी पक्ष को केवल यह दावा करके सीमा अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसे कोई ज्ञान नहीं था।

8.2 इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में निर्धारित कानून को मामले के मौजूदा तथ्यों पर लागू करते हुए, यह नोट किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 17.06.1975 है और उसके तुरंत बाद प्रतिवादी संख्या का नाम है .1 - क्रेता को राजस्व रिकॉर्ड में बदल दिया गया था, जो मुकदमा दायर होने तक जारी रहा और प्रतिवादी नंबर 1 का नाम मालिक और कृषक के रूप में दिखाया गया है और यहां तक कि उगाई गई फसल भी दिखाई गई है और जब वादी दावा करता है कि वह है भूमि पर कब्ज़ा करने और उस पर खेती करने के मामले में, अगर उसने उचित परिश्रम किया होता तो उसे उपरोक्त तथ्य पता होते और इसलिए जैसा कि इस न्यायालय ने देखा है, वादी को स्वामित्व के साथ-साथ प्रतिवादी के कब्जे के बारे में भी जानकारी होने की बात कही जा सकती है। प्रतिवादी संख्या 1. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पंजीकृत विक्रय पत्र में भी, यह उल्लेख किया गया था कि संपूर्ण भूमि का कब्ज़ा प्रतिवादी नंबर 1 - क्रेता को सौंप दिया गया है।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पंजीकृत विक्रय विलेख के निष्पादन और पंजीकृत विक्रय विलेख में उल्लिखित पूर्ण विक्रय प्रतिफल के भुगतान को नीचे की सभी अदालतों द्वारा माना और स्वीकार किया गया है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट के पास प्रतिवादी नंबर 1 - क्रेता को कब्ज़ा सौंपने के पंजीकृत विक्रय विलेख में दिए गए कथनों पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था। वादी द्वारा मांगी गई स्थायी निषेधाज्ञा की राहत एक परिणामी राहत थी, जिसकी चर्चा यहां नीचे की जाएगी।

8.3 इसलिए, एक बार जब मुकदमे को घोषणात्मक राहत के कारण सीमा द्वारा वर्जित माना जाता है और जब स्थायी निषेधाज्ञा के लिए राहत एक परिणामी राहत

थी, तो स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना, जो एक परिणामी राहत थी, को भी सीमा द्वारा वर्जित माना जा सकता है। यह सच है कि सामान्य परिस्थितियों में, मांगी गई स्थायी निषेधाज्ञा की राहत एक वास्तविक राहत है और परिसीमा की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन से कब्जा हटाने की मांग की गई है, जब तक कि कब्जे में हस्तक्षेप जारी रहेगा। हालाँकि, परिणामी राहत के मामले में, जब घोषणा की वास्तविक राहत को सीमा द्वारा वर्जित माना जाता है, तो उक्त सिद्धांत लागू नहीं होगा।

9. अन्यथा गुण-दोष के आधार पर भी, निचली अदालतों ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के कथित कब्जे को परेशान करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करने में गलती की है। तर्क के लिए मान लिया जाए कि वादी का कब्जा पाया गया है, उस मामले में भी, एक बार जब वादी घोषणा और स्वामित्व की राहत का संबंध खो चुका है और प्रतिवादी संख्या 1 को सच्चा माना जाता है और विचाराधीन संपत्ति का पूर्ण स्वामी, उसके पक्ष में दिनांक 17.06.1975 के विक्रय विलेख के निष्पादन के अनुसार, वास्तविक मालिक को उसके खिलाफ निषेधाज्ञा के माध्यम से रोका नहीं जा सकता है। किसी दिए गए मामले में, वादी उस मामले में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक साधारण मुकदमा दायर करके भी निषेधाज्ञा प्राप्त करने में सफल हो सकता है, जहां स्वामित्व पर संदेह है। हालाँकि, एक बार जब स्वामित्व के संबंध में विवाद सुलझ जाता है और इसे वादी के खिलाफ रखा जाता है, तो उस स्थिति में, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वादी द्वारा किया गया मुकदमा वास्तविक मालिक के खिलाफ चलने योग्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में, वादी के लिए यह दावा करना खुला नहीं होगा कि हालांकि जहां तक स्वामित्व विवाद का संबंध है, वह केस हार गया है, प्रतिवादी - असली मालिक को अभी भी उसके कब्जे और उसकी संपत्ति में गड़बड़ी करने से रोका जा सकता है। /उसके कब्जे की रक्षा की जाए। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है

और यह विवाद में नहीं है कि पंजीकृत बिक्री विलेख और घोषणा को रद्द करने के लिए वादी द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया गया है और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख पर विश्वास किया गया है और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को विचाराधीन वाद भूमि का सच्चा और पूर्ण स्वामी माना जाता है। पंजीकृत विक्रय विलेख और घोषणा को रद्द करने के लिए राहत देने से इनकार करने के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री अंतिम रूप ले चुकी है। इस तथ्य के बावजूद कि जहां तक स्वामित्व का प्रश्न है, वादी हार गया है संबंधित है, फिर भी निचली अदालतों ने प्रतिवादी संख्या 1 - विचाराधीन भूमि के पूर्ण मालिक - के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की राहत दी है, जो कानून के साथ-साथ तथ्यों पर भी अस्थिर है। किसी सच्चे मालिक या स्वामित्व धारक के विरुद्ध और किसी अतिचारी या गैरकानूनी कब्जे वाले व्यक्ति के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

9.1 इस स्तर पर, झारखंड राज्य आवास बोर्ड बनाम के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। दीदार सिंह और अन्य, (2019) 17 एससीसी 692 को संदर्भित करना आवश्यक है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और माना गया है कि यद्यपि राहत की घोषणा के अभाव में निषेधाज्ञा के लिए एक खाली मुकदमा कायम रखा जा सकता है और प्रत्येक मामले में जहां प्रतिवादी वादी के स्वामित्व पर विवाद करता है, यह आवश्यक नहीं है कि उन सभी मामलों में, वादी को राहत लेनी होगी। यह आगे देखा और माना जाता है कि, हालांकि, जब प्रतिवादी शीर्षक के संबंध में एक वास्तविक विवाद उठाता है और जब वह वादी के शीर्षक पर संदेह पैदा करता है, तो आवश्यक रूप से उन परिस्थितियों में, वादी खाली निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा नहीं चला सकता है।

9.2 वर्तमान मामले में, एक बार जब प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बिक्री विलेख के अनुसार सच्चा और पूर्ण मालिक माना गया था

और वादी जहां तक घोषणात्मक राहत का सवाल है, असफल रहा, उसके बाद, यह नहीं हो सकता है कहा कि वादी और/या प्रतिवादी के स्वामित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। इसलिए, एकमात्र राहत जो ट्रायल कोर्ट के समक्ष बची थी, वह स्थायी निषेधाज्ञा की राहत पर विचार था और पंजीकृत बिक्री विलेख और उसकी घोषणा को रद्द करने की राहत प्राप्त करने में असफल होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा की राहत नहीं दी जा सकती थी। ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी। मामले के इस पहलू को दूसरी अपील में उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया है।

9.3 ए. सुब्रमण्यम बनाम के मामले में। आर पनीरसेल्वम, (2021) 3 एससीसी 675, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि मालिक के कल्पित चरित्र में भूमि पर कब्जा करने वाला और स्वामित्व के सामान्य अधिकारों का शांतिपूर्वक प्रयोग करने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया के खिलाफ पूरी तरह से अच्छा शीर्षक रखता है लेकिन सही मालिक। इसलिए, वादी किसी भी निषेधाज्ञा का हकदार नहीं है और/या सही मालिक के खिलाफ अपने कब्जे की रक्षा नहीं कर सकता है, विशेष रूप से, जब वह घोषणात्मक राहत पाने में विफल रहता है और शीर्षक के संबंध में विवाद समाप्त हो जाता है।

10. अब, जहां तक अनाथुला सुधाकर (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता का सवाल है, तो मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपनी प्रस्तुति के समर्थन में कहा कि स्थायी निषेधाज्ञा के मुकदमे में रोक लगाने के लिए प्रतिवादी को वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने के लिए, वादी को केवल यह स्थापित करना होगा कि मुकदमे की तारीख के अनुसार, वह मुकदमे की संपत्ति पर वैध कब्जे में था और प्रतिवादी ने उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने या परेशान करने की कोशिश की है। , पैराग्राफ 15 में इस न्यायालय द्वारा जो देखा गया है वह वादी का "वैध कब्ज़ा" है। वर्तमान मामले में वादी, जो कोई भी घोषणात्मक राहत

पाने में विफल रहा है और प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्ण बिक्री प्रतिफल के भुगतान पर पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर सच्चा और पूर्ण मालिक माना जाता है, उसके बाद वादी का कब्जा नहीं हो सकता है। "वैध कब्ज़ा" कहा जाता है। इसलिए, वादी मौजूदा मामले में असली मालिक के खिलाफ किसी भी स्थायी निषेधाज्ञा का हकदार नहीं है।

11. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने मूल राहत और परिणामी राहत के बीच अंतर की उचित सराहना नहीं की है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि मौजूदा मामले में स्थायी निषेधाज्ञा की राहत को एक वास्तविक राहत कहा जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से एक गलत दृष्टिकोण है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुकदमे में वादी द्वारा मांगी गई मुख्य राहत बिक्री विलेख और घोषणा को रद्द करना था और प्रतिवादी नंबर 1 को उसके कब्जे को परेशान करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना को परिणामी राहत कहा जा सकता है। इसलिए, संपत्ति का स्वामित्व कब्जे से राहत का आधार था। यदि ऐसा है, तो वर्तमान मामले में, स्थायी निषेधाज्ञा की राहत को परिणामी राहत कहा जा सकता है, न कि कोई ठोस राहत, जैसा कि उच्च न्यायालय ने देखा और माना है। इसलिए, एक बार जब वादी बिक्री विलेख को रद्द करने की कोई ठोस राहत पाने में विफल रहा है और कोई घोषणात्मक राहत पाने में विफल रहा है, और जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, निषेधाज्ञा की राहत को परिणामी राहत कहा जा सकता है।इसलिए, स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना विफल होनी चाहिए। वर्तमान मामले में चूँकि वादी को वाद भूमि पर वैध कब्ज़ा नहीं कहा जा सकता है, अर्थात, वादी का कब्ज़ा "कानून द्वारा वैध या अधिकृत नहीं है", वादी किसी भी स्थायी निषेधाज्ञा का हकदार नहीं होगा।

11.1 निषेधाज्ञा एक परिणामी राहत है और निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ घोषणा के लिए एक मुकदमे में, यह सरलता से घोषणा के लिए एक मुकदमा नहीं

है, यह एक और राहत के साथ घोषणा के लिए एक मुकदमा है। किसी विशेष मामले में घोषणा के परिणामस्वरूप दावा की गई अतिरिक्त राहत पर्याप्त है या नहीं, यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए। जहां एक बार किसी मुकदमे को चलने योग्य नहीं माना जाता है, वहां निषेधाज्ञा की कोई राहत नहीं दी जा सकती है। संपत्ति के असली मालिक के खिलाफ भी निषेधाज्ञा तभी दी जा सकती है, जब राहत मांगने वाला व्यक्ति संपत्ति पर वैध कब्ज़ा और उपभोग कर रहा हो और कानूनी रूप से उस पर कब्ज़ा करने का हकदार भी हो, कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा, उसका निपटान न करे।

12. अब, जहां तक वादी की ओर से प्रस्तुतीकरण का सवाल है कि भले ही वादी घोषणात्मक राहत पाने में विफल रहा हो और पंजीकृत बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए राहत दी गई हो और उक्त राहतों के लिए उसका मुकदमा खारिज कर दिया गया हो और वादी को पाया गया हो कब्जा हो और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय यह होगा कि कब्जा वापस पाने के लिए एक ठोस मुकदमा दायर किया जाए, जिसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। वादी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि एक बार जब वादी का कब्जा पाया जाता है, तो उसके कब्जे को कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा परेशान नहीं किया जा सकता है और प्रतिवादी नंबर 1, हालांकि वास्तविक मालिक हो सकता है, को इसके लिए एक ठोस मुकदमा दायर करना होगा। कब्जे की वसूली. उपरोक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करते समय, मारिया मार्गरिडा सिकेरा फर्नांडीस बनाम के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। इरास्मो जैक डी सेक्वेरा, (2012) 5 एससीसी 370 को संदर्भित करना आवश्यक है। कानून की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है, इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 79 में समझाया गया है, जो इस प्रकार है: “79. कानून की उचित प्रक्रिया का मतलब है कि किसी की भी अनसुनी निंदा नहीं की जानी चाहिए। कानून की उचित प्रक्रिया का मतलब है कि बसे हुए कब्जे वाले व्यक्ति को कानून की उचित

प्रक्रिया के अलावा बेदखल नहीं किया जाएगा। उचित प्रक्रिया का अर्थ है प्रतिवादी को अदालत के समक्ष लिखित बयान और दस्तावेजों सहित दलीलें दायर करने का अवसर।इसका मतलब पूरी सुनवाई नहीं है. कानून की उचित प्रक्रिया उसी क्षण संतुष्ट हो जाती है जब पार्टियों के अधिकारों पर सक्षम अदालत द्वारा फैसला सुनाया जाता है।" उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निष्कर्षों को मंजूरी दे दी है। होटल इंपीरियल (2006) 88 डीआरजे 545:“28. उपरोक्त निर्णयों में 'कानून की उचित प्रक्रिया', 'कानून के उचित पाठ्यक्रम' और 'कानून का सहारा' जैसे शब्दों का परस्पर उपयोग किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गैरकानूनी कब्जे वाले व्यक्ति के भी बसे हुए कब्जे को 'जबरन' परेशान नहीं किया जा सकता है। असली मालिक द्वारा कानून अपने हाथ में लेने से। हालाँकि, इन सभी अभिव्यक्तियों का मतलब एक ही है - बसे हुए कब्जे से बेदखली केवल अदालत का सहारा लेकर ही की जा सकती है।

स्पष्ट रूप से, यहां 'कानून की उचित प्रक्रिया' या 'कानून की उचित प्रक्रिया' का सीधा सा मतलब यह है कि बसे हुए कब्जे वाले किसी व्यक्ति को वास्तविक मालिक के रूप में उसके अधिकारों पर फैसला किए बिना अदालत से बेदखल नहीं किया जा सकता है।अब, यह 'उचित प्रक्रिया' या 'उचित पाठ्यक्रम' की स्थिति उस क्षण पूरी हो जाती है जब पार्टियों के अधिकारों पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत द्वारा फैसला सुनाया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्रवाई को अदालत में कौन लाया। यह गैरकानूनी कब्जे वाले व्यक्ति को बेदखल करने के अपने अधिकार को लागू करने की कार्रवाई में मालिक हो सकता है। यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसे बाहर निकालने की मांग की जा रही है, इस कार्रवाई में मालिक को उसे बाहर निकालने से रोका जा सकता है। चाहे कार्रवाई किसी अधिकार को लागू करने (कब्जे की वसूली) के लिए हो या किसी अधिकार की सुरक्षा (बेदखली के

खिलाफ निषेधाज्ञा) के लिए हो, इसका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी स्थिति में यह अदालत के समक्ष एक कार्रवाई है और अदालत इस पर फैसला सुनाती है। यदि ऐसा किया जाता है, तो कानून की 'उचित प्रक्रिया' या 'उचित पाठ्यक्रम' की 'न्यूनतम' आवश्यकता पूरी हो जाएगी क्योंकि कानून का सहारा लिया जाएगा। इस संदर्भ में, जब कोई पक्ष निषेधाज्ञा जैसे सुरक्षात्मक उपाय की मांग करते हुए अदालत का रुख करता है और वह एक अच्छा मामला स्थापित करने में विफल रहता है, तो क्या वह यह कह सकता है कि दूसरे पक्ष को अब अपने अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत में कार्रवाई करनी चाहिए। यानी पहले पक्ष से कुछ वापस लेने के लिए जिसने इसे गैरकानूनी तरीके से रखा है, और, ऐसे समय तक, निषेधाज्ञा कार्रवाई की सुनवाई करने वाली अदालत को वैसे भी निषेधाज्ञा देनी होगी? मैं नहीं सोचूंगा. किसी भी घटना में, 'कानून का सहारा' की शर्त तब संतुष्ट होती है जब पहले पक्ष की सुरक्षात्मक कार्रवाई के संबंध में न्यायिक निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, निषेधाज्ञा के लिए मामला बनाने में वादी की विफलता का मतलब यह नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप उक्त दो कमरों के उपयोगकर्ता की समाप्ति कानून का सहारा लिए बिना की गई होगी।

12.1 इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करना और एक बार पार्टियों के अधिकारों का फैसला हो जाना और पंजीकृत बिक्री के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को असली मालिक माना जाना चाहिए। विलेख और पूर्ण बिक्री प्रतिफल के भुगतान पर, यह कहा जा सकता है कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है और उसके बाद वादी वास्तविक मालिक के खिलाफ किसी भी स्थायी निषेधाज्ञा का हकदार नहीं है।

13. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारणों से, नीचे दिए गए सभी न्यायालयों ने वादी के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 1, जो असली मालिक है, के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा देने में गलती की है। यह मानने के बाद कि वादी के

पास कोई स्वामित्व नहीं है और मुकदमे को खारिज करने के बाद पंजीकृत बिक्री विलेख और घोषणा को रद्द करने के बाद, वादी प्रतिवादी संख्या 1 - असली मालिक - के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा से राहत पाने का हकदार नहीं है।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील सफल होती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा पुष्टि की गई ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है और अलग रखा गया है। नतीजतन, प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वादी द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि वादी द्वारा दायर पूरा मुकदमा खारिज कर दिया जाता है।

तद्नुसार वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अनुवादित

नितिन त्रिपाठी